आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

1

आदेश पत्रक.. ता0.................................... से ....तक

जिला – राँची।

केस का प्रकार – जमाबंदी निरस्तीकरण वाद संख्या– 21/2021–22

आदेश एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर राँची के पत्रांक 3113(ii) दिनांक 11.11.2020 के द्वारा आवेदक ईश्वर नाथ मिश्रा का आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के अनुसार मौजा– मनातु, थाना सं0– 76, खाता सं0– 110, प्लॉट सं0– 677, 678 एवं 923, रकबा क्रमशः– 05 डी0, 17 डी0 एवं 58 डी0 भूमि में कायम दोहरा जमाबंदी को निरस्त करने हेतु प्राप्त हुआ है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी, काँके, राँची 18/6/21
	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के द्वारा अपना–अपना कागजात समर्पित किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच कराया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– मनातु, थाना सं0– 76, खाता सं0– 110 खतियानी रैयत बुलाकी हजाम वगैरह आर0एस0 खतियान में दर्ज है। मोसमात बान्दो हजामिन जौजे बुलाकी हजाम ने निबंधित दस्तावेज सं0 3016, दिनांक 10.06.1941 द्वारा विशुनदेव राम पान्डे वल्द राम देव राम पान्डे को मौजा– मनातु, थाना सं0– 76 की अन्य भूमि सहित खाता सं0– 110, प्लॉट सं0– 677, 678 एवं 923, रकबा क्रमशः– 05 डी0, 17 डी एवं 58 डी0 भूमि बिक्री कर दी। पुनः विशुन देव राम पान्डे ने निबंधित दस्तावेज सं0– 4459, दिनांक– 19.06.1969 द्वारा ईश्वर नाथ मिश्रा पिता– खुदीराम मिश्रा को अन्य भूमि सहित खाता सं0– 110, प्लॉट सं0– 677, 678 एवं 923, रकबा क्रमशः– 05 डी0, 17 डी एवं 58 डी0 भूमि बिक्री कर दी। ईश्वर नाथ मिश्रा ने इस भूमि का नामान्तरण अपने नाम से दा0खा0 वाद सं0– 365R27/1984–85 द्वारा करा लिया तथा पंजी II के भाग सं0– II, पृष्ट सं0– 54 में इनका नाम दर्ज है और माजगुजारी रसीद निर्गत है। स्थानीय लोगो के द्वारा बताया गया कि संबंधित भूमि पर इनके द्वारा चारदिवारी का निर्माण किया गया है। संलग्न कागजात के आधार पर देवी चरण हजाम पिता स्व0 बुलाकी हजाम, दीनबन्धु हजाम उर्फ दिन बन्धु ठाकुर पिता स्व0– विराज ठाकुर उर्फ विराज हजाम, नन्दलाल हजाम उर्फ नन्दलाल ठाकुर, लक्ष्मन हजाम उर्फ लक्ष्मन ठाकुर पिता स्व0 शिवनारायण हजाम, विमला देवी पति– स्व0 राम कुमार हजाम एवं पुत्र वधु शिवनारायण ने निबंधित दस्तावेज सं0– 15154, दिनांक– 22.08.2008 द्वारा मौजा– मनातु, खाता सं0– 110, प्लॉट सं0– 677, 678 एवं 679 रकबा क्रमशः– 05 डी0 17 डी0 एवं 19 डी0 भूमि मेसर्स श्रीनेत एण्ड शाण्डिल्य कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को बिक्री कर दिया एवं देवी चरण हजाम उर्फ देवी चरण ठाकुर पिता स्व0 बुलाकी हजाम ने निबंधित दस्तावेज सं0– 923, रकबा– 58 डी0 भूमि अंकित प्रिया कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0 को बिक्री कर दिया। उपरोक्त खरीदी गई भूमि का दा0खा0 क्रमशः श्रीनेत एण्ड शाण्डिल्य कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के नाम से दा0खा0 वाद सं0– 3224R27/2008–09 एवं अंकित प्रिया कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0 के नाम से दा0खा0 वाद सं0– 3381R27/2011–12 द्वारा स्वीकृत है एवं पंजी II में क्रमशः भाग सं0– 3, पृष्ट सं0– 89 तथा भाग सं0– 3, पृष्ट सं0– 226 में दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौजा– मनातु, खाता सं0– 110, प्लॉट सं0– 677, 678 एवं 923, रकबा क्रमशः 05 डी0, 17 डी0 एवं 58 डी0 भूमि की बिक्री खतियानी रैयतों द्वारा पूर्व में ही कर दी गई जिसे ईश्वर नाथ मिश्रा ने क्रय कर अपने नाम से दाखिल

खारिज करा लिया है एवं इसी भूमि का बिक्री खतियानी रैयतों के वंशजों द्वारा अलग--अलग दस्तावेजों के माध्यम से बिक्री किया गया है। अतः मेसेर्स श्रीनेत एण्ड शाण्डिल्य कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पंजी II के भाग सं0-- 3, पृष्ट सं0-- 89 एवं अंकित प्रिया कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0 के नाम से पंजी II के भाग सं0-- 3, पृष्ट सं0-- 226 में चल रही जमाबंदी को रद्द करने हेतु राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सुनवाई करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.23 16:56:06 +05:30
Location: 192.168.29.226